

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3 (2)प्रमुवसं/कार्मिक/2023/01376/ 448-558

दिनांक : 30/5/24

निमित्त

समस्त वनाधिकारीगण।

विषय :- कनिष्ठ सहायकों की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में।
संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक एफ 3 (2)प्रमुवसं/कार्मिक/2023/01376/4392-4500
दिनांक 29.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा आपको कनिष्ठ सहायकों की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किए गए थे। विभाग में राज्य मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 (ii) के अन्तर्गत नियुक्ति के पश्चात् नियुक्ति तिथी से 03 वर्ष में टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी) उत्तीर्ण किये जाने का प्रावधान है। परन्तु कुछ कार्मिकों ने निर्धारित समय में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। जिसके क्रम में जारी कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 28.05.2018 की पालना में शिथिलता प्रदान करने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा मॉक टेस्ट लेकर मॉक टेस्ट में टंकण गति संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में शिथिलता प्रदान की जाती है।

वर्तमान में अधीनस्थ कार्यालयों से कार्मिकों के टंकण परीक्षा में शिथिलता प्रदान हेतु आवेदन मुख्यालय को प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त आवेदन पूर्ण तथ्यों के अभाव में पुनः संबंधित को लौटा दिये जाने की प्रक्रिया में देरी होने के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों की समयावधि और अधिक बढ़ती जा रही है, को मध्यनजर रखते हुए ऐसे कार्मिक जिन्होंने निर्धारित समय अवधि में (दिनांक 31.05.2024 तक) टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वे टंकण परीक्षा में बैठने/सम्मिलित होने हेतु शिथिलता प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करें :-

1. कार्मिक द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण कब किया गया। नियुक्ति आदेश एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।
2. अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 (ii) के तहत नियुक्त कनिष्ठ सहायक को निर्धारित समयावधि 02 वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता एवं 03 वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना है। अतः कार्मिक द्वारा क्या निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित कर ली गई है यदि हां, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें और यदि नहीं की गई है, तो इस संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

3. कार्मिक द्वारा निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा कितनी बार दी गई है और नहीं दी गई तो उसका क्या कारण था, साक्ष्य सहित कारण स्पष्ट करावें ।
4. कार्मिक द्वारा टंकण परीक्षा दी गई किन्तु वह परीक्षा में असफल रहा। उसके द्वारा दी गई टंकण परीक्षा में गति क्या रही, इस संबंध में टंकण परीक्षा के परिणाम की प्रति संलग्न करें।
5. निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कार्मिक द्वारा मॉक टेस्ट में सम्मिलित होने हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को कब भिजवाया गया साक्ष्य सहित प्रति उपलब्ध करावें । प्रस्ताव नहीं भिजवाये जाने की स्थिति में कारण स्पष्ट करें ।
6. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.11.2021 के क्रम में आयोजित दो विशेष परीक्षाओं में क्या कार्मिक सम्मिलित हुआ है। यदि हां तो परीक्षाओं की तिथियों से अवगत करावें ।
7. कार्मिक द्वारा कब-कब मॉक टेस्ट दिया गया एवं परिणाम क्या रहा। कार्मिक को कब कब टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई की प्रति संलग्न करावें ।

उक्त क्रम में समस्त कार्यालयध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि चाही गई सूचना/दस्तावेज बिन्दुवार स्पष्ट एवं पठनीय प्रति मय सत्यापन के, प्रत्येक कार्मिक के पृथक पृथक प्रस्ताव दिनांक 15.06.2024 तक ई-डाक के माध्यम से SSOID-RJJP201019005607 पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उसके पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। साथ ही कार्यालयध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करावें कि जिन कार्मिकों द्वारा नियुक्ति तिथि से 03 वर्षों में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 28.05.2018 की अनुपालना में अविलम्ब ही मॉक टेस्ट हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को भिजवाये। कार्यालय द्वारा विलम्ब से मॉक टेस्ट प्रस्ताव भिजवाये जाने की स्थिति में विलम्ब के कारणों से अवगत करावें ।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7605782

Document certified by ARIJIT
BANERJEE <ariban@gmail.com>

Digitally Signed by ARIJIT
BANERJEE
Designation: Principal Chief
Conservator of Forest
Date :29-05-2024 06:49:04